

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग


का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2026-81 पटना, दिनांक-03.06.2026

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से **D-Type** एवं **C-Type** आवास गर्दनीबाग नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवंटित किया जाता है:-

क्र0	Reg No	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय	आवंटित आवास
1.	GZ16171	श्री पंकज कुमार, पुलिस अधीक्षक	विशेष निगरानी इकाई	D7/203
2.	GZ16173	श्री ज्योति शंकर, पुलिस उपाधीक्षक	विशेष कार्य बल	D7/301 (रिक्त होने की शर्त पर)
3.	GZ16168	श्रीमती बंदना, अपर पुलिस अधीक्षक	मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	D6/701
4.	BG8454	श्रीमती कुमारी रश्मि, संयुक्त आयुक्त	वाणिज्य-कर विभाग	D6/702
5.	GZ16169	श्री शिवेन्द्र कुमार अनुभवी, अपर पुलिस अधीक्षक	अपर पुलिस महानिदेश, सी0आई0डी0, पटना	D6/801
6.	BG6213	श्री अभिजीत कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक	साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई	D6/103
7.	BG8451	श्रीमती चारु अग्रवाल, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार	कला एवं संस्कृति विभाग	C8/306
8.	BG8452	श्रीमती निलिमा राय, पुलिस उपाधीक्षक	विशेष शाखा, गृह विभाग	C7/703
9.	GZ15936	सुश्री मेहा वर्मा, अभियोजन पदाधिकारी	गृह विभाग	C6/103
10.	BG8450	श्रीमती प्रभा गुप्ता सहायक निदेशक	विज्ञान प्रावैधिकी	C8/705
11.	BG8475	श्री अनुराग कुमार, पुलिस उपाधीक्षक	आर्थिक अपराध इकाई	C7/702
12.	BG8476	सुश्री अंकिता श्री, सहायक निदेशक-सह-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	C8/502
13.	GZ16168	श्री दीपक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक	विशेष कार्य बल	C1/404
14.	BG8374	मो0 कामरान, सहायक वास्तुविद्	भवन निर्माण विभाग	C5/402

2. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को



तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

3. नये आवंटी पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल (Mobile No.-9264293043) से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
4. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
5. विभागीय आदेश सं०-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र०	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	डी- टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹936	₹1248	₹2184
2.	सी- टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹660	₹880	₹1540

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

6. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:- भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2026-4892(भ) पटना, दिनांक:-03.06.2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।